•	
	V-190/CR.J.(e)
	PROCEDURE CODE, 1898
-211-6L-11-94 UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE	HE CRIMINAL PROCEDURA
SUMMERRY TRIAL UNDER	mplaint or report made on
he court of	тріант.
Alo I de la	
म्बाधिक मजिस्ट्रेट	प्यम् अला
ame and address of the Complainant	1-laire
	ddress of accused
Name, parentage, caste and a will show that the same and address of the same, parentage, caste and a will show that the same and address of the same a	
	mm gone
1 30 9/3 NO 9/3	30 Court
112/01	TEC -citale
्राया का पुर	3116
12000121 30	
P110	
Samuel Marie Day of the Contract of the Contra	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
The offence complaint of its alleged commission आपने दिनांक 99-4-10 को समय	n.i
The offence complaint of Its	न्त्र च्ये स्थान स्थार्
99-4-10 को समय	The state of the s
आपने दिनांक का पर बिन	किसी वैध अनुज्ञा पत्र पत्राधालय में रखा
जो माज्य आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंत	किसी वैध अनुज्ञा पत्र कको अपने आधिपत्य में रखा
1000	नीय त्यादनीय अपराध होकर इस न्यायालय
क्रिक्सिम की धारा 34 के अंद	140 6-0 11.
जो म०प्र० आबकारा आधारापर कर	
संज्ञान में है।	
Aldin 1	
The state of the s	DESTRUCTION OF THE PARTY OF THE
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
1) 5-01 C 21 Elf-marketine	flex
A second	-ANSER-LEPINION H. 1976TI
J of the B. D. D. Dominion and Commission and Commi	
	A SANDAR
The plea of the accused and his examiination	(if any)
The nlea of the accused and his examination	
The brea	
अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।	10
अपराध स्वाकार है जा ।	of Harding of the
SHITE TOOK	2 119
अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।	
ושוני ויוועו ויוועו ויוועו ויוועו ויוועו ויוועו ויוועו	2 0 0
मान अभिन्न करिय	निया विद्याली वार्या
अवसी-निवाह	गरिक घरिला । राज्य केंगी
bell interior	हाली-फिल इड्डॉम
	X
Territory.	
	(6) clause(g)or subsection(i)of section 260 the value
	subsection(i)of section

The Offence proved, if any and in case cluse(d), clause(f)clause(g)or subsection(i)of section 260 the value of the property in respect of which of which the offence has been committed.

PARI-THE TOTAL STATE

(नि र्ण य) (आज दिनांक 7-6-10 को

1. आरोपी/गण के विरुद्ध धारा <u>34 3,19वंसी</u> (07)

2. आरोपी/गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया/किए हैं।

3. आरोपी/गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी/गण के धारा <u>34 कि 19010</u> के अपराध में सिद्धदोष्ट वहराया जाता है। अतः उक्त अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं आरोपी/गण को <u>कि कि विद्या जाता है। अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा में कि विद्या का साधारण कारावास पृथक से मुगतना होगा।</u>

4. प्रकरण में जब्तशुदा दर्शी ५०० 17 कटाए मिल हिंगा। = अप हि ५२ पार न हि की एक

निर्णय खुले न्यायालय में हरता० व दिनांकित कर घोषित किया गया।

गेरे निर्देश पर टाईप किया।

न्यायिक सिन्द्रांची प्रभाग होणी न्यापिक पीछिए गिएस में भी गोहद, जिला-भिण्ड

न्याविकानिमिद्याश्रम श्रेणी न्याविक मिजिस्ट्रेट ग्रथम केणी गोहद, जिला-भिण्ड